डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 अगस्त 2001—भाद्र 9, शक 1923

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक 488/1675/सा.प्र.वि./2001.—राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि अपर सचिव के पदनाम का परिवर्तन "विशेष सचिव" के रूप में किया जाये.

2. अतः राज्य शासन द्वारा स्तम्भ-दो में उल्लेखित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के वर्तमान पदनाम को स्तम्भ-चार में उल्लेखित पदनाम अनुसार परिवर्तित किया जाता है :—

स.क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदनाम (3)	नवीन पदनाम (4)
1.	श्री एस. पी. त्रिवेदी भा.प्र.से. (1983).	अपर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, वाणिज्यिक कर विभाग.	विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, वाणिज्यिक कर विभाग.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	डॉ. आलोक शुक्ला भा. प्र. से. (1986).	अपर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा विभाग.	विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा विभाग.
3.	श्री सी. के. खेतान भा. प्र. से. (1987).	अपर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनसम्पर्क एवं संचालक, जनसम्पर्क.	विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जन-सम्पर्क एवं संचालक जनसम्पर्क.
4.	श्री चन्द्रहास बेहार भा. प्र. से. (1988).	अपर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग.	विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग.

रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2001

क्रमांक 506/1929/सा.प्र.वि./2/2001.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को, जो वर्तमान में उनके नाम के समक्ष कालम-3 पर दर्शाये पदों पर कार्यरत है, को आगामी आदेश तक उनके नाम के सामने दर्शाये कॉलम-4 में उल्लेखित पदों पर नियुक्त किया जाता है:—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री पी. के. कपूर (भा. प्र. से. 1972).	आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा लाटरी एवं अल्प बचत एवं सचिव समाज कल्याण विभाग.	आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा लाटरी एवं अल्प बचत एवं पदेन सचिव, वित्त विभाग.
2.	श्री डी. एस. मिश्रा (भा. प्र. से.1982).	सचिव, मुख्य मंत्री, पर्यटन एवं ग्रामोद्योग विभाग	सचिव, मुख्य मंत्री, पर्यटन एवं ग्रामोद्योग विभाग एवं वर्तमान कर्तव्य के साथ-साथ आयुक्त, वाणिज्यिक कर.
3.	श्री टी. एस. छतवाल (भा. प्र. से. 1984).	सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	सचिव, शिक्षा विभाग तथा सचिव, सा.प्र. विभाग (राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ).
4.	श्री बी. एल. अग्रवाल (भा. प्र. से. 1988).	विशेष सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	विशेष सचिव, महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग.
5.	श्री के. डी. पी. राव (भा. प्र. से. 1988).	विशेष सचिव, मंत्रालय	विशेष सचिव, कृषि विभाग
6.	श्री गौरव द्विवेदी (भा. प्र. से. 1995).	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सरगुजा.	उप-सचिव, वित्त विभाग एवं अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर.

2. श्री बी. एल. अग्रवाल द्वारा विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग का पदभार ग्रहण करने पर श्री वी. के. कपूर, भा. प्र. से. (1972), सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

3. श्री डी. एस. मिश्रा द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर का पदभार ग्रहण करने पर श्री एच. एल. प्रजापति, आयुक्त, वाणिज्यिक कर के प्रभार से मुक्त होंगे.

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2001

क्रमांक 586/2040/सा.प्र.वि./2001.—श्री एस. के. कुजूर, भा. प्र. से. (1986) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, शिक्षा विभाग को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंदिरा मिश्रा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2001

क्रमांक 465/1510/सा.प्र.वि./2001/लीव/आई.ए.एस.—श्री महिपाल सिंह धुर्वे, एडिशनल कमिश्नर, रायपुर एवं बिलासपुर को दिनांक 9-5-2001 से 30-6-2001 तक 53 दिनों का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही सार्वजनिक अवकाश दिनांक 01-07-2001 को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश पर लौटने पर श्री महिपाल सिंह धुर्वे को आगामी आदेश तक एडिशनल कमिश्नर के पद पर कमिश्नर, रायपुर एवं बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री धुर्वे को अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धुर्वे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2001

क्रमांक 4585/3606/2001/सा.प्र.वि.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1170/2001/सा.प्र.वि., दिनांक 28 फरवरी, 2001 के अनुक्रम में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये विभाग में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदेन अवर सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर पदस्थ किया जाता है:—

1.	श्री एम. ए. अंसारी जि. यो. अ., बस्तर.	पदेन अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि, सहकारिता, पशुपालन, मछलीपालन विभाग.
2.	श्री एस. आर. पटेल जि. यो. अ., कवर्धा.	पदेन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, राजस्व, पुनर्वास, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.
3.	श्री एन. एन. सिंह जि. यो. अधि., दन्तेवाड़ा.	पदेन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग.

रायपुर, दिनांक 9 जुलाई 2001

क्रमांक 4664/5592/2001/1-8.—राज्य शासन, भारतीय वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये विभाग में पदस्थ करता है:—

1. श्री बी. के. सिन्हा (भावसे), संयुक्त सचिव, लोक निर्माण, आवास, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास.	1. श्री बी. के. सिन्हा (भावसे), संयुक्त सचिव, लोक निर्माण, आवास, पर्यावरण, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास.
2. श्री संजय शुक्ला, (भावसे), उप-सचिव, लोक निर्माण, आवास, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग.	2. संजय शुक्ला, (भावसे), उप-सचिव, लोक निर्माण, आवास, पर्यावरण, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग.

2. उपरोक्तानुसार पदस्थापना के फलस्वरूप श्री राम प्रकाश (भावसे), विशेष सचिव, वन, पर्यावरण, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, पर्यावरण विभाग के कार्यभार से मुक्त होंगे.

रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2001

क्रमांक एफ-2-1/2001/1-8/स्था.—श्री जी. डी. गुप्ता, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण, आवास, पर्यावरण तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग में पदस्थ किया जाता है।

रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2001

संशोधन आदेश

क्रमांक 45/6083/2001/सा.प्र.वि./1-8.—इस विभाग का आदेश क्रमांक 4497/5420/2001/साप्रवि, दिनांक 03 जुलाई, 2001 जो श्री आर. एन.कान्हेरे, कार्यपालन यंत्री को पदेन अवर सचिव घोषित करने संबंधी है, में उनका सही नाम श्री आर. एन. कोन्हेर पढ़ा जावे.

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2001

क्रमांक एफ-2-2/2001/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1170/2001/सा.प्र.वि., दिनांक 28 फरवरी, 2001 के अनुक्रम में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए विभाग में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदेन अवर सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर पदस्थ किया जाता है :—

(1)	श्री ए. के. ध्रुव जिला योजना अधिकारी, दुर्ग.	पदेन अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
(2)	श्री के. पी. आर. नायडू जिला सांख्यिकी अधिकारी, रायगढ़.	पदेन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, वन एवं संस्कृति विभाग
(3)	श्री जी. आर. खड़गरे जिला योजना अधिकारी, महासमुन्द.	पदेन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, पर्यटन एवं ग्रामोद्योग विभाग

2. निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए विभाग में पदस्थ किया जाता है :—

(1)	श्री आर. पी. वर्मा पदेन अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग.	पदेन अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
(2)	श्री बी. एल. चौकसे पदेन वि. क. अ., पं. एवं ग्रा. वि.	पदेन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग

3. इस विभाग के आदेश क्रमांक 1170/2001/सा.प्र.वि., दिनांक 28 फरवरी, 2001 द्वारा श्री पी. आर. नंदी, जिला योजना अधिकारी, राजनांदगांव को पदेन अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन घोषित किया गया था, एतद्द्वारा उक्त आदेश निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखो, उप-सचिव.

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2001

क्रमांक 1440/एफ 10/3/2001/पांच (35).—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि, राजनांदगांव-जबलपुर (व्हाया कवर्धा) मार्ग पर जिला कवर्धा में, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्र. 5 सन् 1995) के अधीन कर अपवंचन के निवारण अथवा रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है.

अत: राज्य शासन द्वारा, उपरोक्त अधिनियम की धारा 45 (ए) की उप धारा (1) में वर्णित शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थान पर दिनांक 01-08-2001 से वाणिज्यिक कर जांच चौकी एवं नाका स्थापित किया जाता है :—

अनुसूची

अनु.	जांच चौकी और नाका के स्थान का नाम तथा वर्णन	जांच चौकी एवं नाका की स्थिति
(1)	(2)	(3)
1.	कवर्धा जिले में राजनांदगांव-जबलपुर (व्हाया कवर्धा) मार्ग पर ग्राम पौडी.	राज्य मार्ग क्रमांक 9, राजनांदगांव-जबलपुर (व्हाया कवर्धा) मार्ग पर राजनांदगांव से 136वें एवं 137वें कि. मी. के मध्य.

यह अधिसूचना दिनांक 01 अगस्त 2001 से प्रभावशील होगी ।

Raipur, the 19th July 2001

No. 1440/F 10/3/2001/CT/V (35).—Whereas, the State Government is satisfied that, it is necessary to do so, with a view to prevent or check evasion of tax under the Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994 (No. 5 of 1995) enroute Rajnandgaon-Jabalpur (via-Kawardha) in Kawardha district.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 45 (A) of the said Act, the State Government hereby set-up check post and barrier w.e.f. 01-08-2001 at the place specified in the Schedule below:—

SCHEDULE

S. N.	Name and Description of place of check post and barrier	Location of check post and barrier
(1)	(2)	(3)
1.	Village Poundy on Rajnandgaon-Jabalpur (via Kawardha) Road in Kawardha District.	Between 136th and 137th k.m. from Rajnandgaon-Jabalpur (via Kawardha) Road, State Highway No.9.

This notification shall come in to force with effect from 01-08-2001.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 जुलाई 2001

क्रमांक 1262//ऊर्जा/वि.क.अ./2001.—भारतीय विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1910 की धारा 22-क (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 5 अश्व शक्ति तक के कृषि विद्युत पंपों एवं एकल बत्ती कनेक्शनों को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय की सुविधा संबंधी अविभाजित मध्यप्रदेश शासन के पूर्व में प्रसारित समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए निर्णय लिया गया है कि :—

1. **5 अश्व शक्ति तक के कृषि विद्युत पंप :—**

(अ) वर्तमान में सभी वर्गों के किसानों को 5 अश्व शक्ति तक के कृषि पंपों के लिये की जा रही नि:शुल्क बिजली की छूट समाप्त की जाती है.

(ब) सभी किसानों से, बिना किसी अश्व शक्ति सीमा के, रुपये 60/- प्रति अश्व शक्ति प्रति माह के फ्लैट दर से राशि वसूल की जायेगी.

(स) अनुसूचित जाति तथा जनजाति के किसानों द्वारा उपरोक्तानुसार देय राशि की प्रतिपूर्ति अनुसूचित जाति तथा जनजाति, कल्याण विभाग

द्वारा छ. रा. वि. मं. को किया जायेगा। शेष किसानों से राशि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा सीधे वसूल की जायेगी.

2. **एकल बत्ती कनेक्शन :—**

(अ) निःशुल्क एकल बत्ती की वर्तमान व्यवस्थानुसार छूट यथावत रखी जायेगी.

(ब) वर्तमान में दी जा रही छूट 10 यूनिट प्रतिमाह से बढ़ाकर 15 यूनिट प्रतिमाह की जाती है। इस छूट की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को की जायेगी.

(स) 15 यूनिट से अधिक की खपत होने पर संबंधित उपभोक्ता से 15 यूनिट से अधिक की गई खपत की राशि विद्युत मण्डल द्वारा प्रतिमाह वसूल की जायेगी.

(द) प्रथम चरण में प्रदेश के सभी नगर निगम क्षेत्रों में विद्युत मण्डल द्वारा मीटरीकरण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जावेगा.

उपरोक्त निर्णय दिनांक 01 मई 2001 से प्रभावशील किये गये हैं.

Raipur, the 9th July 2001

No. 1262/Energy/OSD/2001.—In exercise of the powers conferred under Section 22-A (i) of Indian Electricity (Supply) Act, 1910, the Chhattisgarh State Government, superceding-previous orders issued by undivided MPEB, in respect of free electricity supply upto 5 HP agriculture electric pump sets and single point connections has decided that :—

1. AGRICULTURE ELECTRIC PUMPS UPTO 5 HP :—

(a) The persent facility of free electricity supply to all categories of farmers for agriculture electric pump sets upto 5 HP is hereby withdrawn.

(b) Billing at the flat rate of Rs. 60/- per HP per month without any ceiling on HP shall be charged from all category of farmers.

(c) Aforesaid billing amount payable in case of farmers of scheduled caste & scheduled tribes, shall be compensated to Chhattisgarh State Electricity Board by the Department of Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribes, Government of Chhattisgarh. The billing amount from other farmers shall be recovered by Chhattisgarh State Electricity Board directly.

2. SINGLE POINT CONNECTION :—

(a) The present prevailing practice of providing free electricity to single point connection shall be continued.

(b) The present limit of free electricity is hereby enhanced from 10 units to 15 units per month. The energy charges for such free electricity shall be compensated to CSEB, by the State Government.

(c) CSEB shall be recover the billing amount from the single point consumers, for the consumption in excess of 15 units per month.

(d) In first stage, the CSEB will arrange metering of single point conections in the area of all the municiple corporations within six months.

Above decisions have been made effective from 1st May 2001.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2001

क्रमांक 161 (A)/01/ऊर्जा/2000.—इंडियन इलेक्ट्रीसिटी एक्ट, 1910 (1910 का सं. 9) की धारा 36 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता में नीचे दर्शाये गए विनिर्दिष्ट कार्य के लिये नियुक्त करती है :—

इंडियन इलेक्ट्रीसिटी एक्ट, 1910 (1910 का सं. 9) की धारा-36 की उपधारा (1) के अधीन विद्युत निरीक्षक के लिये शक्तियां/कार्य—

अनु-क्रमांक	अधिकारी का पदनाम तथा उनकी अधिकारिता	कार्य का विवरण	प्रत्यायोजित शक्तियां/ कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	संभागीय विद्युत निरीक्षक अपने संभाग के क्षेत्र के भीतर.	(क) निम्न तथा मध्य दाब स्थापनायें (सिनेमा व पावर स्टेशनों को छोड़कर).	संपूर्ण शक्तियां
		(ख) सिनेमा स्थापनायें	संपूर्ण शक्तियां (नयी स्थापना को छोड़कर)
		(ग) उच्च तथा अति उच्च दाब स्थापनायें (पावर स्टेशनों को छोड़कर)	इंडियन इलेक्ट्रीसिटी रूल्स 1556 के नियम 5,46 तथा 63 के अधीन निम्नलिखित क्षमता तक स्थापनायें—
		(एक) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल तथा लायसेंसी की स्थापनाएं.	33 किलो वोल्टता तथा 5 मेगावाट एम्पीयर तक.
		(दो) उपभोक्ताओं की स्थापनाएं.	प्रदाय वोल्टता पर 500 किलोवाट स्थापित क्षमता के उपभोक्ताओं की स्थापनाएं.
		(घ) पावर स्टेशन	100 किलोवाट स्थापित क्षमता तक के पावर स्टेशन तथा उससे जुड़ी स्थापनाएं.

शर्त :—संभागीय विद्युत निरीक्षक को प्रदत्त शक्तियां केवल उन कार्यपालन यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक के द्वारा प्रयोग में लायी जाएंगी जो विद्युत इंजीनियरिंग में या इसके समकक्ष स्नातक उपाधि रखता हो किन्तु ऐसे मामले में जहां कार्यपालन यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक विद्युत इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि (डिप्लोमा) रखता हो (रखने की दशा में) शक्तियों का प्रयोग उसके नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा.

यह आदेश 01 नवंबर 2000 से प्रभावशील (प्रवृत) होगा.

Raipur, the 25th June 2001

No. 161 (A)/01/Energy/2000 .—The State Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 36 of Indian Electricity Act, 1910 (No. 9 of 1910) hereby appoints the following officers for their respective jurisdiction for the work specified shown below :—

For the powers/work of Electrical Inspector under sub-section (1) of Section 36 of Indian Electricity Act, 1910 (No. 9 of 1910).

Sr. No.	Designation of the officer and their jurisdiction	Details of work	Power/works delegated
(1)	- (2)	(3)	(4)
1.	Divisional Electrical Inspector within the area of their division.	(a) Low and medium pressure installation (excluding Cinema and Power Stations).	Full powers.
		(b) Cinema Installations.	Full powers (excluding new installations).
		(c) High and Extra High voltage installations (excluding Power Stations).	Powers under Rule 5, 46 and 63 of the Indian Electricity Rules, 1956 for the installations upto the following capacity.
		(i) Installation of Chhattisgarh State Electricity Board and licensees.	33 KV and upto 5 M.V.A.
		(ii) Installations of consumers.	Installations of consumers upto 500 K.V.A. installed capacity on supply Voltage.
		(d) Power Stations.	Power stations and connected Installations upto 100 K. W. installed capacity.

Condition :—The powers conferred to Divisional Electrical Inspector shall only be executed by those Executive Engineer (Electrical Safty) and Divisional Electrical Inspector who posses Degree in Electrical Engineering or its equivalent but in the case of Executive Engineer (Electrical Safty) and Divisional Electrical Inspector possessing Diploma in Electrical Engineering, the powers shall be exercised by their controlling officer.

This order shall effect from 1st November, 2000.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2001

क्रमांक 161 (C)/01/ऊर्जा/2000.—भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (क्र. 9 सन् 1910) की धारा 55 के अंतर्गत प्रदत्त की गई शक्तियों का उपयोग करते हुए अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं उप-मुख्य विद्युत निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 13, 18, 34 (2) तथा अनुसूची के खंड 5 (2) तथा 13 में निहित राज्य शासन के अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

यह आदेश 01 नवंबर, 2000 से प्रभावशील माना जायेगा ।

Raipur, the 25th June 2001

No. 161 (C)/01/Energy/2000 .—The State Government in exercise of the powers conferred by Section 55 of the Indian Electricity Act, 1910 (No. 9 of 1910) hereby authorised the Superintending Engineer (Electrical Safty) and Deputy Chief Electrical Inspector, Government of Chhattisgarh, Raipur, to exercise the power delegated to State Government by Section 13, 18, 34 (2) and sub-section 5 (2) and 13 of the Schedule of the said Act.

This order will take effect from 1st November, 2000.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. अग्रवाल, अवर सचिव.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 18 जून 2001

क्रमांक सचिव/छ.रा.वि.मं/1163.—मण्डल के प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को त्वरित एवं नियमित उपदान एवं पेंशन (निवृत्ति वेतन) के भुगतान के उद्देश्य से विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 79 सहपठित धारा 24 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत उपदान एवं पेंशन (निवृत्ति पेंशन) कोष की स्थापना का निर्णय मण्डल द्वारा लिया गया है. इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल द्वारा निम्नलिखित विनियमन बनाये गये हैं.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल उपदान एवं पेंशन कोष विनियमन 2001

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :**—यह विनियमन 'छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल उपदान एवं पेंशन कोष विनियमन 2001' के नाम से कहा जा सकेगा. यह विनियमन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के गठन की तिथि से मण्डल के श्रेणी-एक से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों तथा कार्यभारित कर्मियों पर जैसा कि निम्नवत बताया है, लागू होगा.

2. **उद्देश्य एवं प्रयोजन :**—

(1) नियमित एवं कार्यभारित कर्मियों को उनकी सेवानिवृत्ति, सेवा समाप्ति (जिसमें मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता के कारण सेवा समाप्ति शामिल है) पर त्वरित एवं नियमित भुगतान करने.

(2) उपदान एवं पेंशन कोष की स्थापना.

(3) कोष के समुचित संचालन एवं प्रशासन हेतु न्यास का गठन.

(4) कोष का उचित निवेश करना ताकि निवेश से अर्जित ब्याज की राशि का समुचित उपयोग कर्मियों के लाभार्थ किया जा सके.

3. **परिभाषाएं :**—

(अ) **मण्डल**—अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल (छ. रा. वि. मं.) जिसमें अभिहस्तांकिती/अंतरण गृहीता या उत्तराधिकारी भी समाहित है.

(ब) **न्यास मण्डल**—विनियमों के तहत स्थापित उपदान एवं पेंशन कोष के प्रबंधन, प्रशासन के लिये किसी भी नाम से बनाई गई समिति/ अथवा मण्डल.

(स) **कर्मचारी**—कर्मचारी से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा नियोजित तथा मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के लिये विकल्प दिया एवं कार्यभार ग्रहण किया अथवा मध्यप्रदेश या छत्तीसगढ़ राज्य शासन के किसी भी विभाग के कर्मचारी जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल में कार्यभार ग्रहण किया है एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के नियमित कर्मी है एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा बनाये गये/लागू/ग्रहण किये गये नियमों के अनुसार पेंशनरी लाभ के पात्र हैं.

(द) **कार्यभारित कर्मचारी**—वे कार्यभारित कर्मचारी जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के भविष्य निधि को चयन किया है तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की सदस्यता का विकल्प नहीं चुना है.

(इ) **पेंशनरी लाभ**—अर्थात् उपदान, पेंशन, पेंशन का कम्यूटेशन (संराशिकरण) और मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल में प्रभावी नियमों के अन्तर्गत कर्मचारी को सेवा समाप्ति के उपरांत देय है.

4. **कोष की स्थापना :**—उपदान एवं पेंशनरी कोष की स्थापना निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी.

(अ) मण्डल में सेवारत कर्मियों की संख्या उनकी सेवावधि, उन्हें देय वेतन एवं उपदान तथा पेंशन से संबंधित सन्निकट उपचित दायित्वों को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा प्रारंभिक अंशदान रुपये 140.00 करोड़ (एक सौ चालीस करोड़).

(ब) मण्डल द्वारा प्रति माह अंशदान के रूप में कर्मियों के वेतन (बेसिक + अतिरिक्त वेतन + महंगाई भत्ता) के लगभग राशि का कुछ

प्रतिशत न्यास मण्डल द्वारा समय-समय पर अनुरोध किए जाने पर जमा की जावेगी. मण्डल द्वारा यह वचन दिया जाता है कि वह अंशदान की राशि प्रतिमाह अगले माह के सात दिनों के अंदर भुगतान कर देगा तथा भुगतान न किये जाने की स्थिति में इस राशि पर शासकीय प्रतिभूति पर देय ब्याज से आधा प्रतिशत अधिक ब्याज (तिमाही) चक्रवृद्धि की दर से दिया जायेगा. यह मासिक अंशदान न्यास मण्डल द्वारा प्रतिवर्ष पुनरीक्षित किया जावेगा तथा मण्डल द्वारा एवं न्यास मण्डल द्वारा मांगी गई अंशदान राशि दी जावेगी.

(स) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा वचन दिया जाता है कि यदि कर्मियों के पेंशनरी लाभ के भुगतान के लिये कोष में कमी होती है तो मण्डल द्वारा उसकी पूर्ति की जावेगी/अधिक राशि प्रदान की जावेगी.

(द) कोष की राशि के निवेश से अर्जित आय.

(इ) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल अथवा, भारत शासन अथवा अन्य शासन, अथवा कोई भी संगठन/संस्थान/व्यक्ति द्वारा समाज कल्याण एवं कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये देय अन्य कोई भी अंशदान.

5. **पेंशनरी लाभ के भुगतान हेतु पात्रता :**—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल ने अपने कर्मियों की सेवा शर्तों को शासित करने हेतु पूर्व में ही कुछ नियम/विनियमन अधिग्रहित किये हैं. उपदान, राशि, पेंशन, पेंशन के कम्यूटेशन, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान या अन्य पेंशनरी लाभ की पात्रता एवं गणना का विनियमन/निर्धारण कर्मी विशेष पर लागू सेवा संबंधी नियमों के अनुसार की जावेगी.

6. **निधि (कोष) न्यास का संगठनात्मक स्वरूप :**—पेंशन कोष के समुचित प्रशासन, प्रबंधन एवं निर्बाध संचालन के लिये 'छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल' उपदान एवं पेंशन निधि न्यास का गठन किया जायेगा जिसमें एक अध्यक्ष एवं चार सदस्य होंगे. मंडल में पदस्थ सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के 'अध्यक्ष' द्वारा मनोनित किया जावेगा. न्यास मण्डल के अध्यक्ष द्वारा चार सदस्य मनोनित किये जायेंगे जो कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के कर्मियों में से होंगे. न्यास मण्डल के अध्यक्ष तथा सदस्य मानसेवी (अवैतनिक) होंगे. न्यास मण्डल के सचिव का चयन न्यास मण्डल के सदस्यों द्वारा किया जावेगा. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल का मुख्यालय जिस स्थान पर होगा वही पर न्यास मण्डल का मुख्यालय होगा.

7. **सदस्यों का कार्यकाल :**—न्यास मण्डल के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा जिसे न्यास के प्रस्ताव पर अधिकतम एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा. न्यास मण्डल के अध्यक्ष एवं सदस्य निम्न स्थितियों में न्यास मण्डल के अध्यक्ष एवं सदस्य नहीं रहेंगे—

(अ) त्याग पत्र दिये जाने पर/ सेवानिवृत्ति/ किसी भी कारण से सेवा समाप्ति पर.

(ब) यदि अध्यक्ष/सदस्य का आचरण न्यास मण्डल के हितों के विरुद्ध पाया जाता है तब उन्हें समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् अथवा/इस प्रकार की गतिविधियों के लिये कारण बताओ नोटिस पर सुनवाई के पश्चात् न्यास मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर हटाये जाने पर.

8. **न्यास मण्डल के कार्य एवं कोष का प्रबंधन :**—

(क) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के वित्त एवं लेखा विभाग का प्रमुख छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के कर्मचारियों की पेंशनरी लाभ की पूर्ति हेतु आवश्यक राशि का मांग पत्र न्यास मण्डल को प्रेषित करेगा जिसे कि सत्यापन के पश्चात् मांगी गई राशि वित्त एवं लेखा विभाग के प्रमुख को न्यास मण्डल विद्युत कर्मियों को वितरित करने हेतु जारी करेगा. वित्त एवं लेखा प्रमुख के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह राशि का मांग पत्र प्रतिमाह की 20 तारीख तक प्रस्तुत कर दें तथा न्यास मण्डल यह सुनिश्चित करेगा कि चाही गई राशि का चेक/ड्राफ्ट या अन्य किसी माध्यम जिसे न्यास मण्डल उचित समझेगा के द्वारा माह के अंत तक दे देगा ताकि संबंधित कर्मियों [illegible] की पहली अथवा दूसरी तारीख तक भुगतान हो जावे. आवश्यक परिस्थितियों में लेखा एवं वित्त प्रमुख पूरक मांग पत्र दे सकता है जिसका भुगतान भी न्यास मंडल करेगा.

(ख) न्यास मण्डल प्रस्ताव पारित कर उपरोक्त मांग पत्र के सत्यापन एवं मांगी गई राशि के भुगतान हेतु न्यास मण्डल के सचिव को अधिकृत कर सकता है.

(ग) न्यास मण्डल द्वारा आय एवं व्यय का लेखा-जोखा रखा जायेगा जिसका कि अंकेक्षण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के अंकेक्षणकर्त्ता, तथा राज्य के महालेखाधिकारी अथवा न्यास मंडल द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी भी माध्यम से छ. रा. वि. मं. की स्वीकृति पश्चात् किया जायेगा.

(घ) न्यास मण्डल के कार्यालय एवं लेखा-जोखा के रख-रखाव हेतु आवश्यक कर्मी तथा न्यास मण्डल द्वारा मंडल के उचित संचालन हेतु आवश्यक राशि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल प्रदान करेगा.

(ङ) न्यास मण्डल प्रस्ताव पारित कर, राशि का निवेश राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शासन द्वारा मान्य/समर्थित वित्तीय संस्थानों से कर सकेगा, या न्यास मण्डल प्रस्ताव पारित कर उपलब्ध फण्ड राशि को शासकीय प्रतिभूतियों में अधिकतम ब्याज प्राप्ति हेतु निवेश कर सकेगा या न्यास मण्डल छ. रा. वि. मं. को अन्य एवं इस शर्त पर ऋण स्वीकृत कर सकेगा कि मण्डल इस राशि पर शासकीय प्रतिभूतियों पर देय ब्याज से आधे से एक प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दे देगा या न्यास मण्डल प्रस्ताव पारित कर उपलब्ध फण्ड राशि को स्थानीय प्रतिभूतियों में अधिकतम ब्याज प्राप्ति हेतु निवेश कर सकेगा.

(च) सभी निवेश छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल उपदान एवं पेंशन कोष के नाम से होंगे.

(छ) न्यास मण्डल की बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर तत्काल बैठक बुलाई भी जा सकती है. सामान्य बैठक के लिये तीन दिन की सूचना दी जावेगी किन्तु आकस्मिक बैठक के लिये यह शर्त लागू नहीं होगी.

(ज) आवश्यकता हो तो न्यास मण्डल आयकर अधिकारियों से मण्डल द्वारा अर्जित ब्याज पर आयकर की छूट मांग कर सकेगा.

(झ) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को छोड़कर न्यास मण्डल किसी भी कर्मी, संस्था अथवा व्यक्ति को कोष से ऋण नहीं देगा.

(ञ) न्यास मण्डल अपना वार्षिक प्रतिवेदन अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को देगा.

(ट) न्यास मण्डल अपने दैनंदिन कार्यों के संचालन, लेखा-जोखा एवं दायित्वों के निर्वहन के लिए नियम उपनियम बना सकेगा. जो कि इस विनियमन के अनुसार होगा.

(ठ) न्यास मण्डल के सभी निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे. अध्यक्ष का मत टाई की स्थिति में बहुमत के उद्देश्य से निर्णायक मत होगा. बैठक के लिये अध्यक्ष सहित चार सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में न्यास मण्डल के सदस्य उनमें से किसी एक को अध्यक्ष के पद हेतु चयन कर सकते हैं.

(ड) न्यास मण्डल की बैठक की कार्यवाही एवं निर्णय पंजीबद्ध करने के उद्देश्य से बनाई गई पुस्तिका में पंजीबद्ध की जायेगी.

(ढ) इन विनियम के अंतर्गत न्यास मण्डल का सचिव निधि कोष के प्रबंधन/आवश्यक पत्राचार करने/हस्ताक्षर करने/कोष के लिये प्राप्त राशि की पावती पर हस्ताक्षर करने एवं लेखा-जोखा रखने हेतु सक्षम अधिकारी होगा.

(ण) हितग्राहियों के पेंशन एवं अन्य पेंशनरी दायित्वों के सभी भुगतान इस निधि से एवं इस कोष द्वारा इन विनियमन एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के प्रभावी नियम/विनियमन से नियंत्रित होंगे. न्यास मण्डल के संचालन एवं आकस्मिक खर्चों के लिये आवश्यक राशि की स्वीकृति न्यास मंडल प्रदान कर सकेगा.

(त) न्यास मण्डल के लेखों का अभिलेख उचित/नियमित रूप से किया जावेगा तथा ये सभी अभिलेख होगें एवं इन्हें कम से कम 35 वर्षों तक सुरक्षित रखा जावेगा. इन अभिलेखों को उक्त अवधि के बाद संक्षिप्त विवरण तैयार करने के उपरांत न्यास मण्डल के प्रस्ताव पर नष्ट किया जा सकेगा.

(थ) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल उपदान एवं पेंशन न्यास को प्रभावशील विधि के अंतर्गत पंजीकृत एवं नियमित करने के लिये आवश्यक समस्त दस्तावेजों को हस्ताक्षरित/निष्पादित करने एवं अधिवक्ता की नियुक्ति हेतु या इसके विषयक आवश्यक कार्य के निष्पादन हेतु सचिव अथवा न्यास मण्डल प्रस्ताव पारित कर अन्य किसी सदस्य को अधिकृत का सकेगा.

9. **बैंक खाता :**—न्यास मण्डल किसी एक या एक से अधिक राष्ट्रीयकृत बैंक में 'छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल उपदान एवं पेंशन निधि न्यास' के नाम से खाता खोलेगा जिसे न्यास मण्डल के सचिव तथा किसी एक सदस्य 'जिसके नाम का प्रस्ताव न्यास द्वारा किया जावेगा' के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जावेगा. न्यास मण्डल द्वारा सचिव के साथ दो हस्ताक्षरकर्त्ताओं का नाम दिया जावेगा.

10. **न्यास निगमित संस्था होगी :**—न्यास निगमित संस्था होगी और छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील संबंधित विधि के अंतर्गत पंजीकृत होगी. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल उपदान पेंशन कोष के नाम से दावा किया जावेगा या दावा किया जा सकता है. न्यास छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत

मण्डल या अन्य किसी व्यक्ति/संस्था के विरुद्ध इन विनियमनों के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों या अन्य किसी विधि के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के प्रभावशील करने हेतु वाद प्रस्तुत कर सकता है तथा ऐसे समस्त मामलों का क्षेत्राधिकार रायपुर होगा.

मण्डल के आदेशानुसार
सही/-
(शरत चन्द्र)
सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल.

CHHATTISGARH STATE ELECTRICITY BOARD

Raipur, the 18th June 2001

NOTIFICATION

No. SECY/CSEB/1163 .—In exercise of the powers conferred under Section 79 read with Section 24 of the Electricity (Supply) Act, 1948, the board has decided to establish Gratuity and Pension fund to ensure prompt and regular payment of pensionary benefits to the employees of the Board, covering Class-IV to Class I cadres. With this aim in view, the Board is pleased to make the following regulations:—

CHHATTISGARH STATE ELECTRICITY BOARD GRATUITY AND PENSION FUND REGULATIONS—2001

1. **NAME TITLE AND APPLICATION :**—These regulation shall be called as "CHHATTISGARH STATE ELECTRICITY BOARD GRATUITY AND PENSION FUND REGULATIONS-2001." These regulations shall apply to the employees and workcharged employees of Chhattisgarh State Electricity Board from Class-IV to Class-I cadres as specified hereunder from the date of creation of the Chhattisgarh State Electricity Board.

2. **AIMS AND OBJECTS :—**
   (i) To provide better facilities to the employees and to ensure prompt and regular payment to the employees and work charged employees on retirement, cessation of employment including death and total disablement of employee.

   (ii) To establish a gratuity and pension fund.

   (iii) To create a Trust for proper administration and functioning of the fund.

   (iv) To make proper investment of the fund to generate income from interest which can be utilized for the benefit of the employees.

3. **DEFINITION:—**
   (a) BOARD—Means Chhattisgarh State Electricity Board (CSEB) and includes asingees/transferee or successor.

   (b) TRUST BOARD—Body created under these regulation by whatever name called to manage, administer, a gratuity and pension fund established under these regulations.

   (c) EMPLOYEE—Employee means any person employed by Chhattisgarh State Electricity Board and includes persons of M. P. ELECTRICITY BOARD who have opted and joined service with Chhattisgarh State Electricity Board or employees of any department of the govt. of M. P. or Chhattisgarh who have joined the service of Chhattisgarh State Electricity Board and are the regular employees of the CSEB and are entitled to pensionary benefits as per rules framed/applicable/adopted in CSEB.

(d) WORKCHARGED EMPLOYEE—Who have been engaged on work charge establishment and who have opted to be Governed by the provident fund rules of CSEB and have not opted to be governed by Employees Provident Fund Act, 1952.

(e) PENSIONARY BENEFITS—Means Gratuity, pension, commutation of pension and Death cum Retirement Gratuity benefits payable on cessation of employment under the ruls applicable to the CSEB.

4. **ESTABLISHMENT OF FUND**—A gratuity and pensionary fund shall be created by the following sources :

(a) The initial contribution by the Chhattisgarh State Electricity Board of Rs. 140 Crores (Rs. One hundred and forty crores) only considering the present strenght of employees, their length of service, wages payable to them and approximate accrued liability towords gratuity and pension.

(b) The Board shall contribute every month an amount equal to some percantage of the approximate value of wages (Basic+additional pay +D.A.) only of the employees as per the request of Trust Board made from time to time. The Board undertakes to pay this contribution latest within seven days of the following month failing which this amount will carry compound (quarterly) interest at a rate higher by 1/2% (half percent) of the maximum interest payable on govt. securities. This monthly contribution shall be reviewed by the Trust Board every year and the Board shall vary the contribution as per the request of the Trust Board.

(c) The CSEB under takes to provide more funds incase there is a shortfall of funds to meet payments of pensionary benefits.

(d) Income generated from investment of the fund.

(e) Any other contribution by the Chhattisgarh State Electricity Board or Govt. of India or any govt., or any association/institution/individual for Social Welfare & Security of employees.

5. **ELIGIBILITY FOR PAYMENT OF PENSIONARY BENFITS—**

The Chhattisgarh State Electricity Board has already adopted certain rules to govern the service conditions of its employees. Elegibility of a person and amount of gratuity, pension, commutation of pension, Death cum Retirement gratuity or any other pensionary benefits will be calculated and decided in accordance with rules applicable to individual employee as his service conditions.

6. **ESTABLISHMENT OF FUND TRUST :**—For the proper administration management and smooth functioning of the Gratuity and Pension Fund "Chhattisgarh State Electricity Board Gratuity and Pension Fund Trust" shall be established with one Chairman and four members. The Chairman of the Trust Board shall be nominated by the Chairman of the CSEB, who will be one of the members of the CSEB. Chairman of the Trust Board shall nominate his team of four members from among the employees of CSEB. The Chairman and the members of the Trust Board shall be honorary members. The members of the Trust Board shall elect the Secretary of the Trust Board. The head office of the Trust Board shall be at the place where the head office of CSEB is located.

7. **TERM OF MEMBERS :**—The term of the Chairman and members of the Trust Board will be two years which may be extended for a period not exceeding one year by a resolution of the Trust Board.

The Chairman/member of theTrust Board shall cease to be the Chairman/member of the Trust Board:

(a) By resignation/retirement/by cessation of employment by any reason.

(b) By resolution of the Trust Board, if his conduct is found to be against the interest of the Trust Board, after giving him reasonable opportunity or being heard to show cause against such activity.

8. **FUNCTIONS OF THE TRUST BOARD & ADMINISTRATION OF THE FUND—**

(a) The head of the Finance & Accounts Department, CSEB, Raipur will submit a bill for requisition of money to meet the pensionary benefits of the employees of the entire Chhattisgarh State Electricity Board to the Trust Board who after verification will release the money to the head of the Finance & Accounts department, CSEB, Raipur for distribution as per prelevant practice. It will be incumbent for the head of the Finance & Accounts department to submit his requisition by 20th of the month and the trust Board shall ensure that the requisite amount is released by Cheque/Demand Draft or any other instument as deemed fit by the Trust Board before close of the month to ensure payment of pension to the concerned employee

by first or 2nd of month. In case of emergency the head of Finance and Accounts Department may submit a supplementary bill , which shall also be cleared by the Trust Board.

(b) The Trust Board by resolution may authorize the Secretary to verify and release the payment for the above bills.

(c) The Trust Board shall maintain proper accounts of its income and expenditure, which will be audited by auditor of the CSEB as well as Accountant General of the State or in any other manner deemed fit by theTrust Board subject to appoval of the CSEB.

(d) Board shall provide proper staff for maintenance of account and running of the office of the Trust Board including expenses required by the Trust Board for its proper functioning.

(e) The Trust Board by the resolution may decide to invest the amount so available with the fund in Govt. securities to yield maximum interest or may sanction a loan to the CSEB subject to condition that CSEB shall give interest @ 1/2-1% (half to one percent) higher than the maximum limit permissible in govt. securities and on such other conditions as may be imposed by the Trust Board.

(f) The Trust Board may by resolution invest the money in nationalized banks or finanace institutions supported by the Govt.

(g) All investments will be in the name of Chhattisgarh State Electricity Board Gratuity and Pension Fund Trust.

(h) The Trust Board shall have at-least 3 meetings in a year and may call meeting whenever necessary. A notice of 3 days for normal meeting shall be necessary except for an urgent meeting.

(i) If necessary the Trust Board may obtain exemption from INCOME TAX AUTHORITIES on the interest earned by the Trust Board.

(j) No loan shall be permissible to any employee or to any institution (other than CSEB) or any person from the fund.

(k) The Trust Board shall submit its annual report to the Chairman CSEB.

(l) The Trust Board shall be competent to frame its by-laws, rules for the day-to-day discharge of their duties, functions, maintenance of accounts and other relevant and incidental matters in accordance with these regulations.

(m) All decisions of the Trust Board shall be taken by majority and in case of a tie the Chairman of the Trust Board shall have a casting decision to arrive at majority. The quorum for any meeting of the Trust Board shall be four members including the Chairman. In absence of Chairman, the members of the Trust Board can elect a Chairman from amongst them for the meeting.

(n) The decision of the Trust Board shall be recorded in a minute book and be maintained for the purpose.

(o) The secretary to the Trust Board, elected under these regulations, shall be competent to enter into all correspondence relating to the management of the fund and shall sign and issue necessary receipt for any money received in to the fund and maintain accounts thereof.

(p) All payments towards the pension and other pensionary liabilities of the beneficiaries shall be duly made from and out of the fund in accordance with these regulations and other rules/regulations governing the CSEB. The Trust Board may also accord appoval or sanction contingent expences essential for the proper administration and management of the fund.

(q) The records of the accounts of Trust Board shall be maintained properly, regularly and shall be preserved as permanent records for a minimum period of 35 years. They may be destroyed thereafter properly, recoding a brief summery and by resolution of the Trust Board.

(r) To get the Chhattisgarh State Electricity Board Gratuity & Pension Fund duly registered and incorporated under relevant laws of the state, the secretary or any other member of the Trust Boad may by resolution

be authorisedto sign, execute all documents, appointment of advocat. or to do anything that may be deemed necessary in this respect.

9. **BANK ACCOUNT** :—The Trust Board shall open an account in the name of Chhattisgarh State Electricity Board Gratuity & Pension Fund Trust in any one or more Nationalised Banks and the account shall be operated under the joint signatures of Secretary of the Trust Board and one member as may be decided by resolution. The Trust Board shall give two names to be signatories alongwith Secretary of the Trust Board.

10. **TRUST TO BE BODY CORPORATE** :—The trust shall be a body corporate and shall be registered under the relevant laws applicable in the State of Chhattisgarh and shall sue or be sued in the name of Chhattisgarh State Electricity Board Gratuity & Pension Fund Trust. The trust may also initiate legal proceedings against the CSEB or any other person/institution for enforcement of rights available under these regulations or any other law. The jurisdiction for all such matters will be at Raipur.

By order of the board
Sd/-
(SARAT CHANDRA)
Secretary,
Chhattisgarh State Electricity Board.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2001

क्रमांक 1473/2002/ज.सं./2001.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 139/133/ऊर्जा/2000, दिनांक 18-05-2001 जिसके द्वारा श्री यू. के. केशरवानी, अधीक्षण यंत्री, (वि./यां.) कार्यालय-प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर को वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ मुख्य विद्युत निरीक्षक (विद्युत सुरक्षा) रायपुर का कार्यभार सौंपा गया था, को राज्य शासन एतद्द्वारा द्वारा निरस्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एम. वर्मा, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक 51/430/उप-सचिव/आवास पर्या./2001 .—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात :—

आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001 है.
   (दो) यह नवंबर 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट, समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियों को छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थे, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाये. उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किये जाये.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (नं. 23 आफ 1973).

Raipur, the 12th July 2001

No. 51/430/DS/H&E/2001 .—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government, hereby, makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the Adoptation of Laws order, 2001.
   (ii) It shall come in to force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediatly before the formation of the State of Chhattisgarh are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modificaion that in all the law's for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the words "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation. certificate or license) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the law's (2)
1.	Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973).

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2001

क्रमांक 103/472/उप-स./आ.पर्या./2001 .—चूंकि राज्य सरकार की यह राय है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोक हित में यह आवश्यक हो गया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का गठन किया जावे.

2. अतएव राज्य सरकार जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्र. 6) की धारा 4 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल" का गठन इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से किया जाता है.

3. इस अधिसूचना के प्रकाशन पर उन समस्त शक्तियों, कृत्यों तथा कर्तव्यों का जिनका इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त है का प्रयोग, पालन या निर्वहन उक्त मण्डल द्वारा किया जावेगा.

Raipur, the 24th July 2001

No. 103/472/DS/H&E/2001 .—Whereas, the State Government is of the opinion that the circumstances exist which render it necessary in the public interest to create pollution Control Board in the Chhattisgarh State.

2. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974), and Section 4 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the State Government hereby constitutes, "Chhattisgarh Environment Conservation Board", from the date of publication of the notification in Chhattisgarh State Gazette.

3. Upon the publication of this notification all the powers, functions, and duties which may, by or under this Act, be exercised, performed or discharged by the said Board.

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2001

क्रमांक 112/स/आ.पर्या./2001 .—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के निम्नानुसार सदस्य मनोनित किये जाते हैं :—

(1) सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग. — अध्यक्ष

(2) उप-सचिव/ संयुक्त सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग. — सदस्य

(3) आयुक्त, नगर निगम, बिलासपुर. — सदस्य

(4) श्री सम्पत राज जैन, रायपुर. — सदस्य

(5) श्री जीवन नाथ ठाकुर अधिवक्ता, पुरानी बस्ती, रायपुर. — सदस्य

(6) प्रबंध संचालक, वन विकास निगम, रायपुर. — सदस्य

(7) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम, रायपुर. — सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढॉंड, सचिव.

वन, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2001

क्रमांक एफ /7-17/व. स./2001 .—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1)के तहत, क्रमांक एफ 6-16/84/सं/30

भोपाल दिनांक 4 जुलाई 1984 के द्वारा धमधा किला तहसील एवं जिला दुर्ग को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने हेतु जारी अधिसूचना को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

2. इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से धमधा किला तहसील एवं जिला दुर्ग राज्य संरक्षित स्मारक नहीं रहेगा.

3. इस स्मारक के संरक्षण, रख-रखाव एवं जीर्णोद्धार का संपूर्ण उत्तरदायित्व केन्द्रीय गोंडवाना महासभा धमधागढ़ तहसील एवं जिला दुर्ग को रहेगा. गोंडवाना महासभा को धमधा किला सौंपे जाने की औपचारिक कार्यवाही कलेक्टर दुर्ग द्वारा निर्धारित संलग्न शर्तों पर की जावेगी.

जिलाध्यक्ष दुर्ग द्वारा स्मारक को सौंपने के समय शर्तें

धमधा किले को असंरक्षित कर केन्द्रीय गोंडवाना महासभा धमधागढ़, दुर्ग को कलेक्टर दुर्ग के द्वारा सौंपने हेतु शर्तों का प्रारूप निम्नानुसार है :—

(1) धमधा किले के प्रवेश द्वार पर पूर्व से जड़े हुए पुरावशेष यथावत प्रदर्शित रहेंगे. इन्हें किसी भी स्थल पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा न ही कृत्रिम प्रकार से सौंदर्य वृद्धि की जावेगी.

(2) धमधा किले के प्रवेश द्वार पर जड़ी प्रतिमाओं को रंग अथवा वार्निश से विरूपित नहीं किया जावेगा. प्रतिमाओं की सुरक्षा तथा देखरेख की संपूर्ण जिम्मेदारी केन्द्रीय गोंडवाना महासभा धमधागढ़ की होगी. स्थल का अधिपत्य संबंधित को कलेक्टर दुर्ग सौंपेंगे.

(3) धमधा के किले में परम्परा से चली आ रही सार्वजनिक पूजा, आराधना तथा पर्व विशेष के समारोह यथावत मान्य एवं पालनीय होंगे..

(4) धमधा किले के परिसर में किसी भी प्रकार के नव निर्माण/परिवर्तन के लिये सक्षम अधिकारी कलेक्टर दुर्ग से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा.

(5) धमधा किले की पूरा संपदा का भौतिक सत्यापन संस्था के द्वारा प्रतिवर्ष छायाचित्रों के सहित कलेक्टर दुर्ग एवं संचालक पुरातत्व एवं संग्रहालय रायपुर को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा.

(6) उक्त शर्तों की परिवेश एवं परिस्थिति के अनुसार संशोधित एवं परिवर्तित करने का अधिकार कलेक्टर दुर्ग में निहित होगा. जिलाध्यक्ष दुर्ग आवश्यकतानुसार अन्य शर्तें अधिरोपित कर सकेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम प्रकाश, अपर सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2001

क्रमांक 7-6/2001/व.प.सं.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात:—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001 है.
   (2) यह नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थीं, एतद्द्वारा तब तक छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित की जाती हैं तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाए. ऐसे उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किया जाय.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	भारतीय वन (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1965
2.	भारतीय वन (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1983
3.	भारतीय वन (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1989
4.	मध्यप्रदेश तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964
5.	मध्यप्रदेश तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1989
6.	मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969
7.	मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1972
8.	मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1983
9.	मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1986
10.	मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1990
11.	मध्यप्रदेश वन भूमि शाश्वत पट्टा प्रतिसंहरण अधिनियम, 1973
12.	मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम, 1982
13.	मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1984
14.	मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984
15.	मध्यप्रदेश वन उपज करारों का पुनरीक्षण अधिनियम, 1987
16.	मध्यप्रदेश वन उपज करारों का पुनरीक्षण (संशोधन)अधिनियम, 1996
17.	मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 1961
18.	मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 1961 में मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/फ-30-40-95 एक्स-3 (2) दिनांक 19-10-95 द्वारा किया गया संशोधन.
19.	मध्यप्रदेश तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन)नियमावली, 1966
20.	मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-18-2-88-दस-3 दिनांक 29 नवम्बर 1988 द्वारा मध्यप्रदेश तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966 में संशोधन.
21.	मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 18-1-91-दस-3 दिनांक 13-01-1992 द्वारा मध्यप्रदेश तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966 में संशोधन.
22.	मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 18-1-91-दस-3 दिनांक 5 अक्टूबर 1993 द्वारा मध्यप्रदेश तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966 में संशोधन.
23.	मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-26-4-94-दस-3 दिनांक 24-8-1996 द्वारा मध्यप्रदेश तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966 में किया गया संशोधन.
24.	मध्यप्रदेश तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन नियमावली, 2000
25.	मध्यप्रदेश वनोपज (व्यापार विनियमन) नियम, 1969
26.	मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 18-1-96-दस-3 दिनांक 22 मार्च 1997 द्वारा मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) नियम 1969 में संशोधन.
27.	मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) परामर्शदात्री (मंत्रणा) समिति तथा मूल्य प्रकाशन नियम, 1969
28.	मध्यप्रदेश वनोपज (व्यापार विनियमन)काष्ठ नियम, 1973
29.	मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) नियम, 1984
30.	मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन)संशोधन नियम, 2000

(1)	(2)
31.	मध्यप्रदेश वन विकास उपकर नियम, 1982
32.	मध्यप्रदेश संरक्षित वन नियम, 1960
33.	मध्यप्रदेश चराई नियम, 1986
34.	मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-3944-दस-3-88 दिनांक 3 सितम्बर 1988 द्वारा मध्यप्रदेश चराई नियम, 1986 में संशोधन.
35.	मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-3663-दस-3-89 दिनांक 11 अगस्त 1989 द्वारा मध्यप्रदेश चराई नियम, 1986 में संशोधन.
36.	मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-18-3-90-दस-तीन दिनांक 9 जनवरी 1991 द्वारा मध्यप्रदेश चराई नियम, 1986 में संशोधन.
37.	मध्यप्रदेश वनग्राम नियम, 1977
38.	मध्यप्रदेश वनग्राम नियम, 1977 में मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-फ-5/127/76/3/दस दिनांक 04-01-1980 द्वारा संशोधन.
39.	मध्यप्रदेश वनग्राम नियम, 1977 में मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-3081/3026/90/10-3 दिनांक 4-8-1990 द्वारा संशोधन.
40.	मध्यप्रदेश वनग्राम नियम, 1977 में मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-2008-दस-3-99 दिनांक 31-7-1999 द्वारा संशोधन.
41.	वन्यप्राणी संव्यवहार तथा चमड़ा साफ करने की कला (चर्म शोधन)नियम, 1973
42.	मध्यप्रदेश वन प्राणी (संरक्षण) नियम, 1974
43.	मध्यप्रदेश फारेस्ट (फार्म ऑफ अपील) नियम, 1988
44.	मध्यप्रदेश वन भूमि शाश्वत पट्टा प्रति संहरण नियम, 1974
45.	मध्यप्रदेश इमारती लकड़ी (बहती हुई, अटकी हुई, डूबी हुई, किनारे लगी, बिना दावा की) बिना स्वामी की, नियम, 1986
46.	मध्यप्रदेश में अंगीकृत वन संविदा नियम, 1927 जो मध्यप्रदेश राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. 2388-दस-59 दिनांक 27-03-1959 द्वारा बनाये गये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम प्रकाश, अपर सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2001

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-6/2001/व.प.सं., दिनांक 28 जुलाई 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के अधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम प्रकाश, अपर सचिव.

Raipur, the 28th July 2001

No. F 7-6/2001/व.प.सं.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organization Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government, hereby makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the Adoptation Order, 2001.
   (ii) It shall come in to force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The laws, as amended from time to time, as specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediatly before the formation of the State of Chhattisgarh until replealed or amended, subject to the modifications that in the laws for the words "Madhya Pradesh" wherever it occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation, certificate or licenses) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the schedule shall continue to be inforce in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the laws (2)
1.	The Indian Forest (Madhya Pradesh Amendment) Ac,t 1965
2.	The Indian Forest (Madhya Pradesh Amendment) Act, 1983
3.	The Indian Forest (Madhya Pradesh Amendment) Act, 1989
4.	The Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1964
5.	The Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Sanshodhan Adhiniyam, 1989
6.	The Madhya Pradesh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969
7.	The Madhya Pradesh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Sanshodhan Adhiniyam, 1972
8.	The Madhya Pradesh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Sanshodhan Adhiniyam, 1983
9.	The Madhya Pradesh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Sanshodhan Adhiniyam, 1986
10.	The Madhya Pradesh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Sanshodhan Adhiniyam, 1990
11.	The Madhya Pradesh Van Bhumi Saswat Patta Pratisanharan Adhiniyam, 1973
12.	The Madhya Pradesh Karadhan Adhiniyam, 1982
13.	The Madhya Pradesh Karadhan (Sanshodhan)Adhiniyam, 1984
14.	The Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Adhiniyam, 1984.
15.	The Madhya Pradesh Van Upaj Ke Kararon Ka Punrikhan Adhiniyam, 1987
16.	The Madhya Pradesh Van Upaj Ke Kararon Ka Punrikhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1996
17.	The Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 1961
18.	Amendment of Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 1961 vide Govt.of M. P. Forest Department notification No. F-30-40-95-X-3-(2) dated 19-10-95.
19.	The Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Niyamavali, 1966
20.	Amendment of Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Niymavali, 1966 vide Govt. of M. P. Forest Department notification No. F-18-2-88-X-III dated 29-11-1988.
21.	Amendment of Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Niymavali 1966 vide Govt. of M. P. Forest Department notification No. 18-1-91-X-3 dated 13-01-1992.
22.	Amendment of Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Niyamavali, 1966 vide Govt. of M. P. Forest Department notification No. 18-1-91-X-3 dated 05-10-1993.
23.	Amendment of Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Niyamavali, 1966 vide Govt. of M. P. Forest Department notification No. F-26-4-94-X-3 dated 24-08-1996.
24.	The Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Sanshodhan Niyamavali, 2000
25.	The Madhya Pradesh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Niyam, 1969
26.	Amendment of Madhya Pradesh (Vyapar Viniyaman) Niyamavali, 1969 vide Govt. of M. P. Forest Department notification No. F-18-1-96-X-3 dated 22-3-1997.
27.	The Madhya Pradesh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Advisory Committees and Publication of Rates Rules, 1969.
28.	The Madhya Pradesh Van Upaj (Vyapar Viniyaman)Kashtha Niyam, 1973
29.	The Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Niyam, 1984
30.	The Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Sanshodhan Niyam, 2000
31.	The Madhya Pradesh (Van Vikas)Upkar Niyam, 1982
32.	The Madhya Pradesh Protected Forest Rules, 1960
33.	The Madhya Pradesh Grazing Rules, 1986
34.	Amendment of Madhya Pradesh Grazing Rules, 1986 vide Govt. of M. P. Forest Department notification No. 3944-X-3-88 dated 03-09-1988.
35.	Amendment of Madhya Pradesh Grazing Rules, 1986 vide Govt. of M. P. Forest Department notification No. 3663-X-3-89 dated 11-08-1989.
36.	Amendment of Madhya Pradesh Grazing Rules, 1986 vide Govt. of M. P. Forest Department notification No. 18-3-90-X-III dated 09-01-1991.
37.	The Madhya Pradesh Forest Village Rules, 1977
38.	Amendment of Madhya Pradesh Forest Village Rules, 1977 vide Madhya Pradesh Government Forest Department notification No. F-5/127/76/3/X dt. 04-01-1980.

(1)	(2)
39.	Amendment of Madhya Pradesh Forest Village Rules, 1977 vide Madhya Pradesh Government Forest Department notification No. 3081/3026/90/X-3 dt. 04-08-1990.
40.	Amendment of Madhya Pradesh Forest Village Rules, 1977 vide Madhya Pradesh Government Forest Department notification No. 2208-X-3-99 dt. 31-07-1990.
41.	Wild Life (Transaction and Taxidermy) Rules, 1973
42.	The Madhya Pradesh Wild Life (Protection) Rules, 1974
43.	The Madhya Pradesh Forest (Forma of Appeal) Rules, 1988
44.	The Madhya Pradesh Van Bhumi Saswat Patta Pratisanharan Niyam, 1974
45.	The Madhya Pradesh Timber (Floating Stucked, Drowned, Stucked at Shore, (having no claiment) having no owner—Rules, 1986.
46.	The Forest Contract Rules, 1927 as adapted by Madhya Pradesh Govt. Gazette Notification No. 2388-X-59 dt. 27-03-1959.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAM PRAKASH, Addl. Secretary.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2001

क्रमांक 3336/298/2001/स्वा.—छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि नियम-1997 के नियम-3 के प्रावधानों के तहत राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार राज्य स्तरीय समिति का गठन करती है :—

1.	मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4.	संचालक, चिकित्सा शिक्षा	सदस्य
5.	संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सदस्य
6.	राज्य शासन द्वारा नामांकित दो विधायक	सदस्य
7.	राज्य शासन द्वारा नामांकित दो ख्याति प्राप्त चिकित्सक	सदस्य
8.	संयुक्त संचालक (अस्पताल प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएं	सदस्य सचिव

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2001

क्रमांक 3338/298/2001/स्वा.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि नियम-1997 के नियम-3 के प्रावधान के तहत गठित राज्य स्तरीय समिति में निम्नानुसार चिकित्सकों को सदस्य के रूप में नामांकित करती है:—

1. डॉ. सुबीर मुखर्जी, विभागाध्यक्ष
   अस्थि रोग विभाग,
   चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर.

2. डॉ. शशांक गुप्ता, सह प्राध्यापक,
   मेडिसीन विभाग,
   चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. आर. टोण्डर, अवर सचिव.

श्रम, खेल एवं युवक कल्याण विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 जुलाई 2001

क्रमांक 1446/521/2001/श्रम .—छत्तीसगढ़ श्रम सलाहकार पर्षद के गठन, कार्यप्रणाली एवं नियमन संबंधी नियमों के अधीन राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ श्रम सलाहकार पर्षद का गठन निम्नानुसार करता है :—

पदेन सदस्य—

(1)	माननीय श्रम मंत्रीजी	:	अध्यक्ष
(2)	सचिव/श्रमायुक्त	:	सदस्य/सचिव
(3)	संचालक, स्थानीय संस्थाएं	:	सदस्य
(4)	आयुक्त, गृह निर्माण मण्डल	:	सदस्य
(5)	क्षेत्रीय श्रमायुक्त, केन्द्रीय	:	सदस्य
(6)	क्षेत्रीय आयुक्त, भविष्य निधि संगठन	:	सदस्य

नियोजकों के प्रतिनिधि—

(1)	श्री ए. एम. के. भरोस, अति. मुख्य अभि., छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल, रायपुर	:	सदस्य
(2)	मुख्य कार्मिक प्रबंधक, राष्ट्रीय ताप विद्युत केन्द्र, कोरबा	:	सदस्य
(3)	श्री सुशीलकुमार, मुख्य प्रबंधक (कार्मिक), भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई	:	सदस्य
(4)	श्री पूरनलाल अग्रवाल, छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, रायपुर	:	सदस्य
(5)	श्री पी. एन. खण्डेलवाल, छत्तीसगढ़ उद्योग महासंघ, रायपुर	:	सदस्य
(6)	श्री जी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, उरला इण्डस्ट्रीज एसोशिएशन, रायपुर	:	सदस्य
(7)	श्री एच. पी. व्योवहार, संभागीय प्रबंधक, राज्य सड़क परिवहन निगम, रायपुर	:	सदस्य

श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि—

	नाम	पता		
(1)	श्री के. एन. त्रिवेदी (INTUC)	बी–21 इंदिरा विहार, सीपत रोड, बिलासपुर	:	सदस्य
(2)	श्री ब्रम्हासिंह, जनरल सेक्रेटरी. (INTUC)	भारत एल्युमिनियम मजदूर संघ टी. ओ. बाल्को नगर कोरबा.	:	सदस्य
(3)	श्री अरूण कुमार चौबे संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ.	रेल्वे स्टेशन के पीछे, नया पारा राजिम, दूरभाष 234700.	:	सदस्य
(4)	श्री बसंत कुमार सोनी कार्यकारिणी सदस्य भारतीय मजदूर संघ.	द्वारा स्व. सदनलालजी सोनी पचरी घाट,किलावार्ड जूना बिलासपुर.	:	सदस्य
(5)	श्री नूतनेश्वर खोब्रागढ़े प्रेसीडेन्ट, छत्तीसगढ़ स्टेट कमेटी AITUC (एटक).	जयराम बिल्डिंग, शारदा चौक, रायपुर	:	सदस्य
(6)	श्री हरीनाथ सिंह जनरल सेक्रेटरी, छत्तीसगढ़ स्टेट कमेटी AITUC (एटक).	जयराम बिल्डिंग, शारदा चौक, रायपुर	:	सदस्य

(7)	श्री एस. सुदेवन अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट कमेटी CITU(सीटू)	क्वा. नं. 1 बी./16 पो. आ. विश्रामपुर जिला-सरगुजा, पिन-497226.	:	सदस्य
(8)	श्री एम. के. नंदी जनरल सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ स्टेट कमेटी CITU (सीटू)	आयुर्वेदिक डिस्पेनशरी के पीछे न्यू रानी चौक, राजा तलाब, रायपुर पिन-492001.	:	सदस्य
(9)	श्री नत्थूलाल पाण्डे अध्यक्ष, हिन्द मजदूर सभा.	ओ. आ. साउथ झगराखण्ड कालरी जिला-कोरिया.	:	सदस्य
(10)	श्री सुब्रता मुकर्जी जनरल सेकेटरी, हिन्द मजदूर सभा.	बंगला नं.-107 बंगला एवार्ड, रेल्वे कालोनी, बिलासपुर.	:	सदस्य
(11)	श्री पी. निवास राव सचिव, पत्रकार संघ.	प्रेस क्लब, रायपुर (श्रमजीवी पत्रकार एवं गैर पत्रकार) संघ.	:	सदस्य

अध्यक्ष द्वारा मनोनित—

(12) श्री हर्षद मेहता
विधायक, धमतरी.

(13) श्रीमती शकुन्तला तरार
महिला कार्यकर्त्ता,
एकता नगर सेक्टर-2, गुढ़ियारी, रायपुर.

रायपुर, दिनांक 9 जुलाई 2001

क्रमांक 1447/521/श्रम/2001 .—छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 2001 की धारा 4 उपधारा (1) सहपठित छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि नियम, 2001 के नियम-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि मण्डल का गठन निम्नानुसार करता है :—

1.	अध्यक्ष	माननीय श्रम मंत्री जी
2.	सचिव	श्री एच. आर द्विवेदी उप श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर.
3.	(क) नियोजक के प्रतिनिधि-(6)	(1) श्री गौतम भट्टाचार्य उप महाप्रबंधक (औद्योगिक संबंध) भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई. (2) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल रायपुर के सचिव अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि. (3) महाप्रबंधक, एन. टी. पी. सी. कोरबा या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि. (4) छत्तीसगढ़ उद्योग महासंघ के अध्यक्ष या उनके एक प्रतिनिधि.

(5) श्री बजरंगलाल अग्रवाल
अग्रसेन री-रोलर्स प्रा. लि., रायपुर (प्रतिनिधि)
उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएसन, रायपुर.

(6) श्री जे. पी. साबू, कोषाध्यक्ष
लघु उद्योग भारती, रायपुर.

(ख) सेवा नियोक्तों के प्रतिनिधि-(6)

(1) श्री बलबीर खनूजा
14 जी. ई. रोड, राजनांदगांव (प्रतिनिधि इंटक)

(2) श्री छबिलाल कौशिक
प्रकाश भवन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
कार्यालय-नंदई रोड, राजनांदगांव
(एटक प्रतिनिधि).

(3) श्री नारायण तिवारी, अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ,
डी-192, अज्ञेय नगर, बिलासपुर 495 001.

(4) श्री ए. के. लाल, सेन्टर फार
इंडियन ट्रेड यूनियन (सी. आई. टी. यू.)
चर्च के पास, टिकरा पारा, धमतरी.

(5) श्री एम. पी. पाण्डे
हिन्द मजदूर सभा (एच.एम.एस.) के प्रतिनिधि.

(6) श्री व्ही. के. शर्मा, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन
(इंटक प्रतिनिधि).

(ग) स्वतंत्र सदस्य-(6)

(1) श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

(2) कल्याण आयुक्त, भारत शासन, श्रम मंत्रालय,
जबलपुर अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि.

(3) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, रायपुर अथवा उनके
प्राधिकृत प्रतिनिधि.

(4) माननीय श्री खेलसाय सिंह,
सांसद, सरगुजा.

(5) माननीय श्री भुरसूराम नाग
विधायक, केशलूर.

(6) माननीया श्रीमती निर्मला बेहार
एडवोकेट, रायपुर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. मूर्ति, सचिव.

आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक डी-1932/2717/आजाक/2001.—मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्र. 15, सन् 1996) की धारा 3 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन 12 जुलाई, 2001 से करता है.

2. म. प्र. राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 3 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग हेतु निम्नानुसार अध्यक्ष/सदस्य नियुक्त करता है:—

(1)	श्री इकबाल अहमद रिजवी, रायपुर	-	अध्यक्ष
(2)	श्री रंजन दयाल, रायपुर	-	सदस्य
(3)	श्री राजेन्द्रसिंह बेनीपाल, रायपुर	-	सदस्य

अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उस तारीख से जिसको कि वह पदग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा.

3. अध्यक्ष को मंत्रि-परिषद् के केबिनेट मंत्री का दर्जा और सदस्यों को राज्यमंत्री का दर्जा दिया जाता है.

4. मितव्ययता बनाये रखने की दृष्टि से नियुक्त मान. अध्यक्ष/सदस्यों की स्वेच्छा से सहमति अनुसार मा. अध्यक्ष/सदस्य आवास एवं वाहन सुविधाओं का लाभ आगामी आदेश तक नहीं लेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरजियस मिंज, सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग, ग्रामोद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2001

क्रमांक 344/116/ग्रामोद्योग/2001.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्र. 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001 है.
   (2) यह नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होगा.

2. इस आदेश की अनुसूची में, समय-समय पर, यथा संशोधित ऐसी विधियां जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत थीं, एतद्द्वारा, जब तक छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित की जाती है तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द ''मध्यप्रदेश'' जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर शब्द ''छत्तीसगढ़'' स्थापित किये जाए.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गयी कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978.
2.	मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग (संशोधन) अधिनियम, 1979.
3.	मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1980.
4.	मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग विनियमन, 1980.
5.	मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग भविष्य निधि नियम, 1963.
6.	मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग मंडल सेवा अधिनियम, 1978.

Raipur, the 20th July 2001

No. 344/116/Gramodyog/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organization Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government, hereby makes the following order namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the Adoptation of Law Order, 2001.
   (ii) It shall come in to force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. This laws as amended from time to time, specified in the Schedule to this order, which are in force in the State of Madhya Pradesh immediatly before the formation of the State of Chhattisgarh are hereby extended to and shall be infoce in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modifications that in the laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgrah" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the Schedule shall continue to be inforce in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of laws (2)
1.	Madhya Pradesh Gramodyog Adhiniyam, 1978.
2.	Madhya Pradesh Gramodyog (Sanshodhan) Adhiniyam, 1979.
3.	Madhya Pradesh Gramodyog Niyam, 1980.
4.	Madhya Pradesh Khadi tatha Gramodyog Viniyam, 1980.
5.	Madhya Pradesh Khadi tatha Gramodyog Bhavishya Nidhi Niyam,1963
6.	Madhya Pradesh Gramodyog Mandal Seva Adhiniyam 1978.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. बेहार, सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2001

क्रमांक आई-1 302/ब-4/चार/2001
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़.

विषय :—वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्य शासन द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों पर ब्याज की दर का निर्धारण.

म. प्र. वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. एल-1/19/99/ब-7/चार दिनांक 5 मई, 2000 तथा ज्ञाप क्र. एल.-1/10/2000/ब-7/4 दिनांक 5 मई, 2000 के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिये शासकीय सेवकों को दिये जाने वाले अग्रिमों पर ब्याज की दर में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है. ये दरें 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावशील होगी.

क्रमांक श्रेणी (1)		ब्याज दरें प्रतिशत प्रतिवर्ष (2)
1.	गृह निर्माण अग्रिम/भवन क्रय पर अग्रिम	
	(अ) रुपये 2.00 लाख तक	11.00
	(ब) रुपये 2.00 लाख से अधिक तथा 5.00 लाख तक.	12.00
	(स) रुपये 5.00 लाख से ऊपर	13.00
2.	साइकिल खरीदने के लिये अग्रिम .	10.75
3.	अन्य वस्तुओं एवं अन्य वाहन	
	(अ) मोटरकार को छोड़कर अर्थात् मोटर साइकिल, स्कूटर आदि के लिये.	12.75
	(ब) मोटरकार खरीदने के लिये	14.50
	(स) मोटरकार खरीदने के लिये (स्व वाहन सुविधा योजना में)	11.00

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2001

क्रमांक आई-1 304/ब-4/चार/2001
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़.

विषय :—वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्य शासन द्वारा स्वीकृत विभिन्न ऋणों पर ब्याज की दर निर्धारण.

म. प्र. वित्त विभाग के परिपत्र क्र.-एल-1/28/99/ब-7/चार दिनांक 1-9-99 के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा वित्त वर्ष 2001-2002 के दौरान मंजूर किये गये ऋणों पर ब्याज की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है. ये दर 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावशील रहेंगी.

क्रमांक श्रेणी (1)		ब्याज दरें (प्रतिशत प्रतिवर्ष) (2)
1.	कृषक ऋण अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय अधिकरण द्वारा दिये जाने वाले कृषकों को ऋण (चार वर्ष तक).	13.50
2.	प्राकृतिक विपदाओं में हुए, कष्टों में राहत देने के लिये कृषकों व अकृषकों को ऋण.	12.50
3.	कृषक ऋण अधिनियम तथा भू-सुधार अधिनियम के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं को ऋण :—	
	(1) अल्पावधि ऋण	13.50
	(2) मध्यावधि ऋण	14.00
4.	भारत सरकार से प्राप्त अल्पावधि ऋण	9.00

(1)		(2)
5.	(क) एक करोड़ से कम अंशपूंजी वाली सहकारी संस्थाओं को ऋण	13.00
	(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों और एक करोड़ से अधिक अंशपूंजी वाली सहकारी समितिओं को ऋण :—	
	(1) नगद कमी या कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने हेतु ऋण के अलावा ऋण.	16.50
	(2) नगद कमी या कार्यशील पूंजी को पूरा करने के लिये ऋण (अधिकतम 5 वर्ष).	19.00
	(ग) निजी क्षेत्र के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों को दिये जाने वाले ऋण.	''ख''में बताई गई दर से 1/2% अधिक.
6.	शहरी क्षेत्रों में अस्थाई जलकष्ट का निवारण (आयोजना एवं आयोजनेत्तर)	14.00
7.	वन तकावी	
8.	उपद्रवों से पीड़ित व्यक्तियों को ऋण	13.00
9.	वन अधीक्षकों को बन्दूक क्रय करने हेतु ऋण	13.50
10.	राज्य आयोजनागत, केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के लिये ऋण :—	
	(1) चार वर्ष से नौ वर्ष तक	12.25
	(2) दस वर्ष तथा उससे ऊपर	12.75
11.	राज्य शासन द्वारा तदर्थ आधार पर ऋण (शैक्षणिक अन्य सामाजिक सेवा संस्थायें तथा अन्य व्यक्तिगत ऋण).	13.25
12.	जीवन बीमा निगम से ऋण :—	
	(1) सामान्य विकास कार्यों हेतु	उन्हीं दरों पर जिन पर राज्य शासन को ऋण प्राप्त होता है. +0.5 प्रतिशत सेवा प्रभार.
	(2) ग्रामीण विकास कार्यों हेतु	उन्हीं दरों पर जिन पर राज्य शासन को ऋण प्राप्त होता है. +0.5 प्रतिशत सेवा प्रभार.
13.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	उन्हीं दरों पर जिन पर राज्य शासन को ऋण प्राप्त होता है. +0.5 प्रतिशत सेवा प्रभार.
	दाण्डिक ब्याज	सामान्य दर से 3% अधिक.

दाण्डिक ब्याज सामान्य दर से 3% प्रतिवर्ष से अधिक वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एल.-1/24/78/ब-7/चार, दिनांक 8-1-1979 के अनुसार लागू होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 29 जून 2001

क्रमांक 04/अ-82/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	झुलना प. ह. नं. 27	28-73	कार्यपालन यंत्री, खारंग जलाशय संभाग, बिलासपुर.	विधुवा जलाशय योजना (डुबान में).

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय (रा.), बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 जून 2001

क्रमांक 11/अ-82/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	कोसा	0.33	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	भंनसुली माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय (रा.), बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 जून 2001

क्रमांक 12/अ-82/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	सूखाताल प. ह. नं. 3/4	0.14	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा, जिला दुर्ग.	हेम्प आर.बी. सी. नहर

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय (रा.), बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 जुलाई 2001

क्रमांक 09/अ-82/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	राका प. ह. नं. 18	3.83 निजी	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा, जिला दुर्ग.	शिवनाथ उद्वहन सिंचाई योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय (रा.), बेमेतरा में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

Bilaspur, the 7th June 2001

No. 2733/II-3-1/2001.—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, and also sub-section (1) of Section 8 of the M. P. Civil Courts Act, 1958, the High Court of Chhattisgarh, hereby, designate the following Civil Judges, Class-I and Judicial Magistrate First Class in the same capacity and posts them at the place and post mentioned against their respective names from the date they assume charge of their duties, viz:—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	District Headquarters (5)	Remarks (6)
1.	Shri Noordin Tigala II Civil Judge Class I & Judicial Magistrate First Class.	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class I & Judicial Magistrate First Class.
2.	Shri Neelamal Chand Sankhla, Railway Magistrate.	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	II Civil Judge Class I & Railway Magistrate.

Bilaspur, the 7th June 2001

No. 2735/II-2-1/2001.—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, designate the following member of Higher Judicial Service specified in Column No. (2) of the table below from the place shown in Column No. (3) to the place shown in the Column No. (4) and posts him as Additional District Judge as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his duties, viz :-

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	District Headquarters (5)	Remarks (6)
1.	Shri Surendra Kumar Tiwari II Additional District & Sessions Judge.	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Rajnandgaon	I Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.

बिलासपुर, दिनांक 9 जुलाई 2001

क्रमांक 2766/दो-2-8/2000.—छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर के आदेश क्रमांक 24/2000 दिनांक 4-11-2000 द्वारा क्रमांक-15 श्री अखिलेश्वर सिंह तंवर, सहायक संचालक (वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारी) को आगामी आदेश पर्यन्त उच्च न्यायालय, बिलासपुर की स्थापना पर पदस्थापना के परिणाम स्वरूप उन्हें उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से रजिस्ट्री स्थापना पर लेखाधिकारी पदस्थ किया जाता है तथापि वे अपने मूल पद के वेतनमान 8000-275-13500/- में वेतन प्राप्त करते रहेंगे.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
टी. के. झा, रजिस्ट्रार जनरल.